

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 605/2021

अनवान : -

1. इन्द्रपाल पुत्र ओमप्रकाश पुत्र सन्तलाल जाति ब्राहमण निवासी थिराना तहसील नोहर।
- वादी

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र सन्तलाल जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. मनोज उम्र 17 वर्ष पुत्र ओमप्रकाश जरिये माता संरक्षक सुमित्रा पत्नी ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी थिराना तहसील नोहर।
3. सुरेन्द्र कुमार पुत्र सन्तलाल जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. रणजीत पुत्र सन्तलाल जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. रूकमणी देवी पत्नी सन्तलाल जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. राजकमल पुत्री सन्तलाल जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
8. उप पंजीयक नोहर उप तहसील खुईया तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

**दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त०
अधि० 1955**

उपस्थिति :- श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 27/05/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-75 के खाता स० 356/231 के ख०न० 241/4, 381/2, 383/2, 385/1, 397/1, 397/8 की कुल 7.0040 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम बहिब एवं रोही मौजा सुरजनसर तहसील नोहर के खाता स० 272/249 के ख०न० 110/3 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि सन्तलाल पुत्र नानकराम के नाम दर्ज है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है रोही मौजा थिराना की भूमि सन्तलाल के वारिसान के नाम बहिब दर्ज हो चुकी है जबकि सुरजनसर की वाद भूमि सन्तलाल के नाम दर्ज है। सन्तलाल का देहान्त हो चुका है एवं सन्तलाल के जायज वारिस वादी व प्रतिवादीगण है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 लगायत 6 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 7 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण सन्तलाल दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है रोही मौजा थिराना की भूमि सन्तलाल के वारिसान के नाम बहिब दर्ज हो चुकी है जबकि सुरजनसर की वाद भूमि सन्तलाल के नाम दर्ज है। सन्तलाल का देहान्त हो चुका हे एवं सन्तलाल के जायज वारिस वादी व प्रतिवादीगण है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।


हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-75 के खाता सं० 356/231 के ख०न० 241/4, 381/2, 383/2, 385/1, 397/1, 397/8 की कुल 7.0040 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम बहिब एवं रोही मौजा सुरजनसर तहसील नोहर के खाता सं० 272/249 के ख०न० 110/3 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि सन्तलाल पुत्र नानकराम के नाम दर्ज है। वादी का कथन है कि उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है रोही मौजा थिराना की भूमि सन्तलाल के वारिसान के नाम बहिब दर्ज हो चुकी है जबकि सुरजनसर की वाद भूमि सन्तलाल के नाम दर्ज है। सन्तलाल का देहान्त हो चुका हे एवं सन्तलाल के जायज वारिस वादी व प्रतिवादीगण है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया

Sahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 को कोई ऐतराज नहीं है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान एवं सदस्य प्रमाण पत्र के अलावा लाधुराम के अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य हैं।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सुरजनसर तहसील नोहर के खाता स0 272/249 के ख0न0 110/3 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि सन्तलाल पुत्र नानकराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण स0 1 ता 6 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27/05/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 605/2021

अनवान : –

1. इन्द्रपाल पुत्र ओमप्रकाश पुत्र सन्तलाल जाति ब्राहमण निवासी थिराना तहसील नोहर।
– वादी

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र सन्तलाल जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. मनोज उम्र 17 वर्ष पुत्र ओमप्रकाश जरिये माता संरक्षक सुमित्रा पत्नी ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी थिराना तहसील नोहर।
3. सुरेन्द्र कुमार पुत्र सन्तलाल जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. रणजीत पुत्र सन्तलाल जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. रूकमणी देवी पत्नी सन्तलाल जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. राजकमल पुत्री सन्तलाल जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
8. उप पंजीयक नोहर उप तहसील खुईया तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 605 सन 2021 निर्णय दिनांक 27/05/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रामकुमार बैनीवाल एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सुरजनसर तहसील नोहर के खाता स0 272/249 के ख0न0 110/3 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि सन्तलाल पुत्र नानकराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण स0 1 ता 6 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/05/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर